

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 356] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1982/अग्रहायण 4, 1904
No. 356] NEW DELHI THURSDAY, NOV. 25, 1982/AGRAHAYAN 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1982

सं० 260/82 सीमाशुल्क

सा० का० नि० 721(अ).- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अपना यह समाधान हो जान पर कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 232—सीमाशुल्क तारीख 5 दिसम्बर, 1979 का निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "30 नवम्बर, 1982" शब्दों और शब्दों के स्थान पर 30 नवम्बर, 1983' शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/164/82 सी० शु० 1]

एन० एस० एस० रत्न, सचिव,

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1982

No. 260/82-Customs

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 232-Customs, dated the 5th December, 1979 namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "30th November, 1982" the figures, letters and word "30th November, 1983" shall be substituted.

IF.N. 355/164/82-CUS II

N. SASIDHARAN, Under Secy.